

PBR/निगरानी/मंसौर/धु-31/2017/1968  
१९९९

आपातपत्र श्रीमान सरल्य सहाय मंडल अवालीम  
केम्प उल्के (MR)

9  
R M  
वाडी

प्र. वृ  
केसाश वाडी — प्राची  
व,  
दियानाथ — विपक्षी

२२५-२२६  
१६-६-१७

प्राचीन पत्र अतिरिक्त केम्प मंसौर द्वारा  
निगरानी वापस कोराये जाने से इस आपातपत्र  
में प्रस्तुती आवत

माननीय महोदय,

विश्रुत निवेदन है कि, सलग प्रकरण  
निगरानी प्र. वृ २५ नि। २०१५-१६ आदेश दि ३१-३-१७  
के आदेश से वापस कोरा दी गई है तथा सहाय आपा-  
तपत्र में प्रस्तुत कये लेख दी गई है। जो कि अति-  
रिक्त केम्प का आदेश दिनांक ३१-३-१७ की प्रतिलिपि  
दिनांक ४/५/१७ को प्राप्त हुई है इस कारण यह निगरानी  
आपत प्रस्तुत सहाय आपातपत्र के की जा रही है।


3

अतः निवेदन है कि निगरानी प्र. वृ का  
जाकर प्रस्तापत्र प्राचीनिकता जाकर सुनवाई किसे जान

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1968

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/10/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश कुमावत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	